

बिहार सरकार,
गृह विभाग
(विशेष शाखा)
आदेश

पटना, दिनांक-अगस्त, 2016

संख्या--...../सी0, श्री मिथिलेश कुमार सिन्हा, अवर सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम-83 के तहत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जाता है। पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।

2. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(राजभूषण प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप संख्या:- स्था0/वि0-09-33/2016-...../ पटना, दिनांक-अगस्त, 2016

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं हक0), महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना/आयुक्त, भविष्य निधि निदेशालय, पंत भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप संख्या:- स्था0/वि0-09-33/2016-...../ पटना, दिनांक-अगस्त, 2016

प्रतिलिपि :- सभी पदाधिकारी, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप संख्या:- स्था0/वि0-09-33/2016-⁷⁵⁰⁸...../ पटना, दिनांक-⁰⁹.....अगस्त, 2016

प्रतिलिपि :- श्री मिथिलेश कुमार सिन्हा, अवर सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना (दो प्रतियों में)/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना/दफ्तरी, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

^{21/8/16}
9-8-16

सरकार के अवर सचिव


9/8